राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि0.,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर – 302 005

इकाई प्रभारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.2012 का कार्यवाही विवरण

इकाई प्रभारियों की एक दिवसीय समीक्षा बैठक दिनांक 23.05.12 को प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक महोदय ने इकाई प्रभारियों एवं उपस्थित सभी अधिकारियों का अभिवादन करते हुए बताया कि विगत वित्तीय वर्ष 2011–2012 में रीको ने एक टीम भावना के रूप में कार्य करते हुए करीबन Rs. 390 करोड़ का लाभ अर्जित किया है जो एक ऐतिहासिक रिकार्ड है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं।

प्रबंध निदेशक महोदय ने आगामी वर्षो में निगम द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धियॉ प्राप्त करने के लिए निम्न दिशा–निर्देश इकाई प्रभारियों को जारी किये :–

1. समस्त इकाई कार्यालय माननीय मंत्री महोदय, जनप्रतिनिधि, औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर शीघ्र निर्णय लेकर उद्यमियों को राहत प्रदान करे।
2. निगम में लैण्ड बैंक बनाया जावे जिसके लिए इकाई प्रभारी स्थानीय राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर राजकीय भूमि (सवाईचक) चिन्हीत कर भूमि आवंटन के प्रस्ताव मुख्यालय भेजे।
3. राजकीय भूमि यदि चारागाह हो तो प्रस्ताव तैयार रखे जावे ताकि राज्य सरकार द्वारा चारागाह भूमि आवंटन का निर्णय करने की अवस्था में निगम को भूमि आवंटित हो सके।
4. अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों की आवंटित/अवाप्त भूमि का नामांतरण, लीजडीड हो चुकी है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के नामांतरण, लीजडीड अभी तक नहीं हुई है उनकी नामांतरण, लीजडीड 15.06.12 तक आवश्यक रूप से करवाकर मुख्यालय को सूचित करे।
5. औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते अतिक्रमण के मद्देनजर समस्त इकाई प्रभारी RIICO INDUSTRIAL AREAS (PREVENTION OF UNAUTHORIZED DEVELOPMENT) ACT, 1999 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लावे।
6. आवंटी को भूखण्ड आवंटन से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि भूमि का कब्जा निगम द्वारा प्राप्त कर लिया गया है एवं उक्त भूखण्ड किसी न्यायालय में विवाद एवं अतिक्रमण से रहित हैं तथा भूखण्ड का सीमांकन किया जा चुका है।

7. कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में पाया गया कि निगम को भूमि आवंटन के 5 से 7 वर्ष पश्चात् भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किये गये है। अतः मुख्यालय का तकनीकी प्रकोष्ठ इस बाबत् आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व समस्त औद्योगिक क्षेत्र जो आवंटन हेतु खुले है, आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जाकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित किया जावे।

8. औद्योगिक क्षेत्रों के पर्यावरण अनुमोदन (ईआईए) के बाबत् कानून में निर्धारित समय से भी ज्यादा समय लग रहा है। इस बाबत् संबंधित परामर्शदाता फर्म एवं विभाग से लगातार संपर्क रखा जावें तथा प्रकरण का त्वरित गति से निदान किया जावे।

9. मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद कुछ इकाई प्रभारी मौके पर बिना भूखण्ड का डिर्मार्केशन कराये आवंटन कर रहे है। अतः समस्त इकाई प्रभारियों को सख्त हिदायत दी गयी कि भूखण्ड का आवंटन मौके पर डिमार्केशन कराकर एवं विवादरहित होने पर ही किया जावे अन्यथा इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार के विवाद के लिए जिम्मेदार होगें।

10. यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का समतलीकरण किया जाना प्रस्तावित हो तो यह कार्य भूखण्ड आवंटन से पूर्व ही कर लिया जावे।

11. कई औद्योगिक क्षेत्रों में वुडलैण्ड, ओपनलैण्ड, पार्क की भूमि आदि के लिए भूमि खुली रखी गयी है लेकिन मौके पर उक्त भूमि वेस्ट मेटिरियल के डम्पिंग, गार्बेज एवं अतिक्रमण के रूप में पायी गयी है। ऐसी भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनाकर या तो किसी औद्योगिक संगठन/उद्यमी को निगम नियमानुसार प्लाण्टेशन/रख–रखाव के लिए दे दी जावे अथवा रीको द्वारा स्वयं इसे विकसित किया जावे।

12. उद्यमियों द्वारा सड़क पर अथवा आस–पास के क्षेत्रों में अपशिष्ट डाल दिया जाता है जिससे आवागमन बाधित होता है तथा क्षेत्र दूषित हो जाता है। इसे रोकने के लिए इकाई प्रभारी संबंधित दोषी उद्यमी के विरूद्ध RIICO INDUSTRIAL AREAS (PREVENTION OF UNAUTHORIZED DEVELOPMENT) ACT, 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करे एवं उक्त अपशिष्ट मेटीरियल को दोषी उद्यमी के खर्च पर हटवायें।

13. औद्योगिक क्षेत्रों में नालियों का बहाव अपशिष्ट पदार्थ डालकर रोक लिया जाता है। इस बाबत् दोषी उद्यमी के विरूद्ध कार्यवाही करे एवं नालियों की सफाई व्यवस्था सुनिशिचित रखे।

14. औद्योगिक क्षेत्रों में स्ट्रीट लाईट का संचालन सुव्यवस्थित न होने की शिकायत मिलती हैं। इस बाबत इकाई प्रभारी रात्रि समय में औद्योगिक क्षेत्र विशेषतः मुख्य चौराहों, दुर्घटना संभावित क्षेत्र का भ्रमण करे एवं बंद/क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाईट की मरम्मत तुरंत करावे।

15. कई औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की स्थिति दयनीय है इनकी मरम्मत हेतु आवश्यक बजट का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भिजवाये तथा सड़कों का रख–रखाव के लिए उपलब्ध मरम्मत के बजट का समुचित प्रयोग करे।

16. इकाई प्रभारी स्थानीय औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से नियमित बैठके आयोजित करते रहे ताकि उनकी समस्याओं का निदान समय पर हो सके।

17. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में साईनेज बोर्ड, भूखण्ड संख्या इंगित करते बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र का नक्शा यथा स्थान लगवाने की व्यवस्था करें।

18. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में उचित स्थान पर सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य करवाये एवं इसके संचालन हेतु किसी संस्था/औद्योगिक संगठन को हस्तांतरित कर देवें। तकनीकी प्रकोष्ठ इस हेतु टाईप डिजाइन तैयार कर उपलब्ध करावे।

19. प्रत्येक नये औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थ निस्तारण के लिए उचित स्थान का चयन करे।

20. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों में अथवा आसपास के क्षेत्रों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम/भू–जल रिचार्ज के लिए लो–लाईन ऐरिया का चिन्हीकरण कर विकसित करे।

21. भूखण्ड पर उत्पादन शुरू करने की तिथि का सत्यापन हेतु निर्धारित मापदण्डों बाबत् इकाई कार्यालय में स्पष्ट निर्देश अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को जारी करे ताकि उक्त तिथि बाबत् कोई विवाद उत्पन्न न हो।

22. उद्यमीयों के कार्यो/समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समयावधि में ही कर दिये जावें।

23. निगम द्वारा हाल ही में जारी आदेश जिसमें कि संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भी आरक्षण सीमा तक अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूखण्ड आवंटन किया जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए इकाई प्रभारी समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में 2000 व.मी. के क्षेत्रफल तक के नियोजित भूखण्डों की संख्या, आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को आवंटित भूखण्ड आवंटनों की संख्या एवं वर्तमान में रिक्त भूखण्डों की संख्या की जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करावें जिससे उपरोक्त सूचना निगम मुख्यालय में संकलित की जाकर राज्य स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार उपरांत भूखण्डों का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावे। इकाई कार्यालय सीधे प्राप्त आवेदनों पर आवंटन कार्यवाही नहीं करे।

24. इकाई प्रभारी, मुख्यालय के विभिन्न प्रकोष्ठों द्वारा चाही गयी सूचना का सम्प्रेषण शीघ्र एवं निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करे। बैलेंस–शीट के कार्य हेतु यदि नियमित विद्युत आपूर्ति बाधित हो तो डी.जी. सैट किराये पर लेकर इकाई कार्यालय के कम्प्युटरों का संचालन करे।

25. निगम द्वारा हाल ही में जारी अतिरिक्त भूमि नियमन बाबत् आदेश की पालना सुनिश्चित करे जिसके अनुसार किसी भी भूखण्ड पर अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्रफल तक केवल एक बार ही अतिरिक्त भूमि का नियमन किया जावे।

26. यदि भूखण्ड पर बाउण्ड्रीवाल, चौकीदार कमरें का निर्माण हो रखा है तथा अन्य कोई निर्माण नहीं हो तो भूखण्ड को आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णयानुसार रिक्त भूखण्ड माना जावेगा। उक्त भूखण्ड निरस्त होने की दशा में भूखण्ड का कब्जा ले लिया जावे। आवंटन निरस्तीकरण आदेश के साथ ही लौटाने योग्य राशि का चैक प्रेषित करे।

27. भूखण्डों का निरस्तीकरण निगम मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवंटन के क्रमवार बिना किसी भेदभाव के जारी करे एवं निरस्त भूखण्डों का पुनः आवंटन 3 माह में आवश्यक रूप से कर देवें।

28. कई इकाई प्रभारियों ने तकनीकी स्वीकृति/प्रशासनिक स्वीकृति के मामले तकनीकी प्रकोष्ठ में लंबित बतायें। अतिरिक्त मुख्य अभियंता 30.04.12 तक उनके प्रकोष्ठ में प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति 31.05.12 तक आवश्यक रूप से जारी करे।
29. रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम 3 (डब्ल्यू) के अंतर्गत आवंटन किये गये है जिसमें निर्धारित समयबद्ध निर्माण कार्य/उत्पादन कार्य की निगरानी इकाई प्रभारी द्वारा की जावे एवं निर्धारित तिथि से 3 माह पूर्व चेतावनी पत्र आवंटी को जारी किया जावे। ऐसे आवंटनों का पूर्ण विवरण 15 जून तक मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
30. इकाई प्रभारी, प्रबंध निदेशक अथवा सलाहकार (इन्फ्रा) की अनुमति के बिना अपना मुख्यालय न छोड़े।

इसके पश्चात् प्रबंध निदेशक महोदय ने इकाईवार समस्त इकाईयों की समीक्षा की एवं समस्त इकाई प्रभारियों को उपरोक्तानुसार जारी दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त निम्नानुसार इकाईवार विशेष रूप से दिशा–निर्देश जारी किये।

1. **<u>आबूरोड</u>** :
    - इकाई कार्यालय के अधीन अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र संतृप्त हो चुके है अतः नये उद्योगो की संभावना के मद्देनजर नये औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्ताव इकाई कार्यालय एक माह में प्रस्तुत करे।
    - निरस्त भूखण्डों का पुनः आवंटन शीघ्र किया जावे।
    - अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल) द्वारा इकाई का निरीक्षण उपरांत दिये गये निर्देशों की अनुपालना में निविदायें आमंत्रित की जावे।
    - इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी बतायी गयी जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।

2. **<u>अजमेर</u>** :
    - इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह मे संबंधित कराया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
    - औ.क्षे. रूपनगढ में Consent to Establishment का आवेदन लंबित है, इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
    - इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी बतायी गयी जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।
    - उद्यमियों की शिकायतों का संधारण किया जाकर निवारण शीघ्र करें।
    - नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु चालु वर्ष में कम से कम 500 एकड़ भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाये।
    - ब्यावर में क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हेतु एचआरडी प्रकोष्ठ कार्यवाही करे।

3. **अलवर** :

- इकाई कार्यालय के अधीन अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र संतृप्त हो चुके है अतः नये उद्योगो की संभावना के मद्देनजर नया औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव इकाई कार्यालय शीघ्र प्रस्तुत करे।
- प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा हाल ही में की गयी विजिट के दौरान दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।
- एग्रो फूड पार्क के भूखण्डों की नीलामी में यदि एग्रो आधारित उद्यमी उत्साह नहीं दिखाते है तो सामान्य उद्यमियों के लिए भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाया जावे।

4. **बालोतरा** :

- इकाई कार्यालय के अधीन अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में रीको को आवंटित भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में संपादित करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- गुढामलानी, बायतू के आसपास के क्षेत्र में करीबन 5000 एकड़ राजकीय भूमि चिन्हीत कर आवंटन हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाये।
- औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा चतुर्थ चरण हेतु जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करवाकर लंबित भूखण्ड आवेदन–पत्रों का निस्तारण करे।
- बाड़मेर की बैलेंसशीट के कार्य हेतु एक लेखाकार का पदस्थापन बाड़मेर कार्यालय में किये जाने की कार्यवाही लेखानुभाग शीघ्र करे।
- राजकीय भूमि के आवंटन हेतु प्रिमियम राशि K 4.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति के लंबित प्रकरण का शीघ्र निस्तारण लेखानुभाग करे।
- इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी बतायी गयी जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।

5. **बांसवाड़ा** :

- इकाई कार्यालय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बीच्छीवाड़ा में बिना भूमि का कब्जा लिये भूखण्ड आवंटित कर दिये जाने को गंभीरता से लिया गया है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृती न की जावे।
- इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी बतायी गयी जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।

6. **भरतपुर** :

- राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र में राजकीय भूमि चिन्हीत कर आवंटन हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाये।
- स्टोन पार्क धौलपुर में भूखण्ड आवंटन के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया जावे एवं इस हेतु आगरा, ग्वालियर में विशेष कैम्प आयोजित किये जावे।

- इकाई प्रभारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जुरेहेरा की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी किया जाना लंबित बताया इस बाबत् अतिरिक्त मुख्य अभियंता को 15 दिवस में आवश्यक स्वीकृति जारी करने का श्रम करे।
- इकाई प्रभारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जुरेहेरा में ग्रामीण फिडर से विद्युत आपूर्ति होने के कारण पर्याप्त विद्युत इस क्षेत्र को नहीं मिलती है। इस बाबत् अधीक्षण अभियंता (विद्युत) को निर्देश दिये कि वे इस क्षेत्र के लिए जी.एस.एस. स्थापना की स्वीकृति संबंधित विद्युत निगम से शीघ्र करवायें।
- औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले में हाल ही में जारी योजनान्तर्गत उत्पादन प्रोत्साहन राशि का पुर्नभरण कमेटी के माध्यम से किया जावे। जिसके लिए कमेटी गठन के आदेश मुख्यालय द्वारा जारी कर दिये जावे।

7. **<u>भीलवाड़ा</u>** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में रीको को आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में संबंधित करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- औ.क्षे. सोनियाना, चित्तौड़गढ़ में पर्यावरण स्वीकृति (ईआईए) का आवेदन लंबित पाया गया जिस बाबत् इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
- नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए राजकीय भूमि के आवंटन हेतु जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क कर भूमि चिन्हीत कर प्रस्ताव भिजवाये।
- नये विकास कार्यो की निविदा सूचना शीघ्र जारी कर त्वरित गति से विकास कार्य करवाये जावे।
- दोषी आवंटियों का भूखण्ड निरस्त कर अन्य उद्यमियों को नियमानुसार पुनः आवंटन निर्धारित समयावधि में करे।
- लंबित न्यायिक विवादों में जवाब तैयार कर समयावधि अंतर्गत संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करे।
- दोषी उद्यमी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा हो अथवा मलबा डालकर सड़क पर अवरोध किया हो उनके विरूद्ध नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराकर कठोरतम कार्यवाही करे।

8. **<u>भिवाड़ी (प्रथम)</u>** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में संबंधित करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- भू–अवाप्ति से छोड़े जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर मय समुचित कारण, सक्षम कमेटी को प्रस्तुत करे ताकि इन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सके।
- यह पाया गया कि इकाई द्वारा कुछ भूखण्ड बिना डिमारकेशन कराये, बिना एप्रोच रोड़ के आवंटन कर दिये गये है जो उचित नहीं है। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति को गंभीरता से लिया जावेगा।

9. **भिवाड़ी (द्वितीय)** :

- औ.क्षे. कारौली, सलारपुर, चौपानकी विस्तार में पर्यावरण स्वीकृती (ईआईए) के आवेदन लंबित पाये गये जिस बाबत् इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
- जिन औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण अनुमोदन (ईआईए) लंबित है एवं भूखण्ड आवंटन किये गये है उनमें आवंटी ईआईए क्लियरेन्स होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारंभ करे। इस बात की सुनिश्चितता इकाई प्रभारी अपने स्तर से करे।

10. **बीकानेर** :

- औद्योगिक क्षेत्र खाजूवाला, करनी तृतीय चरण में अतिक्रमणों को जिला प्रशासन के सहयोग से शीघ्र हटाया जावें।
- औ.क्षे. गजनेर में पर्यावरण स्वीकृती (ईआईए) का आवेदन लंबित पाया गया जिस बाबत् इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
- इकाई प्रभारी द्वारा प्रेषित सूचना (फॉर्मेट नं0 5 बाबत् दोषी आवंटी) सही नहीं पायी गयी। इकाई प्रभारी सूचना दुरूस्त कर 15 दिवस में प्रस्तुत करे।
- औद्योगिक क्षेत्र बीछवाल में जीएसएस की स्थापना हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव मुख्यालय 7 दिवस में भिजवाये।
- औद्योगिक क्षेत्र करणी विस्तार में सीईटीपी की स्थापना हेतु भूमि का आवंटन तकनीकी शाखा के परीक्षणोंपरांत किया जावे।

11. **बोरानाडा** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इस एक माह में संबंधित करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- निरस्त भूखण्डों के कई प्रकरणों में लौटाये जाने वाली राशि काफी समय से नहीं लौटायी गयी है। इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही कर निरस्त भूखण्डों की राशि लौटावें एवं अन्य उद्यमियों को नियमानुसार पुनः आवंटन 3 माह में करे। प्रगति से मुख्यालय को अवगत कराये।
- एसईजेड (सेज) के डी–नोटिफिकेशन के बाबत् आवश्यक कार्यवाही करे।

12. **सीतापुरा (जयपुर)** :

- रामचन्द्रपुरा एवं प्रहलादपुरा के भूमि संबंधित जयपुर विकास प्राधिकरण में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवावें।
- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इस एक माह में संबंधित करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।

- नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु जेडीए मास्टर प्लान में चिन्हीत राजकीय भूमि एवं चाकसू के आसपास निजी भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव तैयार कर एक माह में मुख्यालय प्रेषित करें।
- औ.क्षे. प्रहलादपुरा में पर्यावरण स्वीकृती (ईआईए) का आवेदन लंबित पाया गया जिस बाबत् इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
- नये विकास कार्यो की निविदा सूचना शीघ्र जारी कर त्वरित गति से विकास कार्य करवाये जावे।

13. **<u>जयपुर (ग्रामीण)</u>** :
    - इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
    - संवेदक द्वारा किये गये कार्य में गारण्टी अवधि के दौरान यदि कोई दोष पाया जाता है तो संवेदक कार्य के मूल रूप तक सुधार करे अन्यथा दोष सुधार का खर्चा संवेदक से वसूला जाये।
    - दोषी आवंटियों की सूची में 41 प्रकरण पाये गये किन्तु एक प्रकरण में भूखण्ड निरस्त किया गया। इकाई प्रभारी अन्य प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करे।
    - इकाई अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण के कई प्रकरण है लेकिन इकाई प्रभारी द्वारा किसी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज नहीं करायी गयी है। इकाई प्रभारी अतिक्रमियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करे।

14. **<u>जयपुर (दक्षिण)</u>** :
    - इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में संबंधित करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
    - नवीन औद्योगिक क्षेत्र देवनगर में **''<u>रीको संपत्ति</u>''** के बोर्ड यथास्थानों पर शीघ्र लगवाये।
    - अपरैल पार्क की भूमि संबंधी विवाद जिला कलेक्टर महोदय से संपर्क कर शीघ्र सुलझाये।
    - औद्योगिक क्षेत्रों में थड़ियों, केबिन आदि लगाकर किये गये अतिक्रमण को शीघ्र हटवाये।
    - विकास एवं मरम्मत के कार्य शीघ्र करावें तथा दोषी संवेदक जिन्होंनें गारण्टी पीरियड के दौरान क्षतिग्रस्त कार्य को दुरूस्त नहीं किया है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही करे।
    - जेम्स पार्क की जमीन का शीघ्र कब्जा लेने की कार्यवाही करे।

15. **<u>जयपुर (उत्तर)</u>** :
    - औद्योगिक क्षेत्र सरनाडूंगर के भूमि संबंधी विवाद जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ संयुक्त पैमाइश कर शीघ्र सुलझाये।

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इस बाबत् एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।

16. **झालावाड़** :
    - इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इस बाबत् एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
    - अविकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड का आवंटन अविकसित रूप में किया गया है जिससे निगम विकास कार्य किये जाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

17. **झुन्झुनु** :
    - इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इस बाबत् एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
    - निरस्त भूखण्डों का अन्य उद्यमियों को पुनः आवंटन शीघ्र करें।
    - इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी बतायी गयी जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।

18. **जोधपुर** :
    - सीईटीपी के निर्माण हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना किसी शुल्क के भूमि उपलब्ध कराया जाना हैं। इस बाबत् इकाई प्रभारी जोधपुर विकास प्राधिकरण से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करे।
    - नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि चिन्हीत कर प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करें।

19. **कोटा** :
    - नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करे।
    - पर्यावरण औद्योगिक क्षेत्र की भूमि बाबत् वन विभाग से संपर्क कर निगम का पक्ष प्रस्तुत करे।

20. **नागौर** :
    - नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु विशेषाधिकारी (भूमि) कार्यवाही करे।
    - निरस्त भूखण्डों के पुनः आवंटन हेतु शीघ्र कार्यवाही करे।

21. **पाली** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इस बाबत् एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु राजकीय भूमि के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करे।
- इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी एवं जौलार में क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर के अधिकारी की आवश्यकता बतायी गयी। जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।

22. **सवाईमाधोपुर** :

- कई प्रकरणों में पाया गया कि इकाई कार्यालय द्वारा उद्यमियों को उनकी मूल लीजडीड नहीं लौटायी गयी है। इस बाबत् इकाई प्रभारी समूचित कार्यवाही करे एवं प्रगति से अवगत करावे।
- जिला कलेक्टर, औद्योगिक संगठनों एवं उद्यमियों से प्राप्त प्रतिवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें एवं इकाई प्रभारी बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़े।

23. **नीमराना** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- औ.क्षे. घिलोट एवं कोलिला में पर्यावरण स्वीकृती (ईआईए) आवेदन लंबित पाये गये जिस बाबत् इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
- नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु भूमि के प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
- औद्योगिक क्षेत्र घिलोट का ले–आऊट प्लान प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित करने के प्रबंधक (प्लानिंग) को निर्देश दिये।
- ग्राम–पंचायत नीमराना से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के तकनीमों का परीक्षण कर वित शाखा द्वारा आवश्यक अनुमति जारी करने के कार्यवाही की जावे।

24. **सीकर** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- निरस्त भूखण्डों की लौटायी जाने वाली राशि नियमानुसार शीघ्र लौटायी जावे।
- औद्योगिक क्षेत्र रींगस में अतिक्रमण को रोकने हेतु बाउण्ड्रीवाल बनाने के प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाये।

25. **श्रीगंगानगर** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- औ.क्षे. कोहला एवं उद्योग विहार तृतीय में पर्यावरण स्वीकृती (ईआईए) आवेदन लंबित पाया गया जिस बाबत् इकाई प्रभारी त्वरित कार्यवाही करे।
- किसी भी औद्योगिक क्षेत्र की प्लानिंग उस औद्योगिक क्षेत्र के सर्वे के उपरांत ही की जावें। यह तथ्य औद्योगिक क्षेत्र कोहला में भी लागू रहेगा।
- न्यायालय में लंबित प्रकरणों में जवाब शीघ्र प्रेषित किया जावे एवं यदि कोई स्थगन आदेश हो तो उसकी पालना की जावे।
- एग्रो टेस्टिंग लैब को सी.आई.ओ. से संपर्क कर इसे पुनः शुरू कराने के प्रयास किये जावें।
- औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ़ में सीईटीपी के प्रस्ताव पर मुख्यालय के तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावें।

26. **उदयपुर** :

- इकाई कार्यालय के अधीन कई औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की लीजडीड निष्पादन एवं नामांतरण का कार्य नहीं हुआ है इसे एक माह में करवाया जाकर मुख्यालय को सूचित करे।
- औद्योगिक क्षेत्रों के मरम्मत का कार्य उपलब्ध बजट का पूर्ण उपयोग करते हुए करवाया जावे।
- औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव एवं संधारण की स्थिति बाबत् एक उद्यमी द्वारा प्रेषित सीडी का अवलोकन किया गया एवं इसमें दिखाये गये विभिन्न मरम्मत के कार्य, अतिक्रमण हटाने के कार्य शीघ्रता के आधार पर किये जाने हेतु निर्देशित किया।
- इकाई प्रभारी द्वारा कार्यालय में स्टॉफ कर्मियों की कमी बतायी गयी जिस बाबत् आवश्यक कार्यवाही एचआरडी प्रकोष्ठ द्वारा की जावे।

वित्तीय सलाहकार ने सभी इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया की इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट का समुचित उपयोग करे और यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव बनाकर शीघ्र प्रेषित करे ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके।

सलाहकार (इन्फ्रा) ने सभी इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधीनस्थ समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित/अवाप्त भूमि की भूमि की लीजडीड एवं नामांतरण कराया जाना सुनिश्चित करे। मास्टर प्लान में चिन्हीत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि में से राजकीय भूमि को प्राथमिकता के आधार पर रीको को आवंटित करने के प्रस्ताव तैयार करे। दोषी आवंटियों के खिलाफ कार्यवाही करे तथा निरस्त भूखण्डों का शीघ्र निस्तारण करे। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के विस्तृत सर्वे के उपरांत ही प्लानिंग करे। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का समुचित रख–रखाव रखे। बरसात पूर्व नालियों की सफाई करवायें।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल) ने सभी इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया कि इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट के उपयोग हेतु आवश्यक तकनीकी स्वीकृतियॉ जारी करावे एवं निविदायें प्रकाशित करवाकर किये जाने वाले कार्यो के कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही करे।

मुख्य महाप्रबंधक (मार्केटिंग) ने बताया कि पर्यावरण अनुमोदन की कार्यवाही के लिए तकनीकी प्रकोष्ठ से सामंजस्य बनाया जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि महाप्रबंधक स्तर के पर्यावरण विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति कर निगम में एक सेल का गठन किया जावे जो इन प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से कर सके।

महाप्रबंधक (इन्फ्रा) द्वारा बताया गया कि इकाई प्रभारियों द्वारा पूर्व में प्रेषित भूखण्डों के डेटाबेस में निर्धारित समय पर उत्पादन शुरू न करने के दोषी आवंटियों की संख्या वर्तमान में प्रेषित फॉर्मेट नं0 5 में दोषी आवंटियों की संख्या से काफी अधिक थी। इकाई प्रभारी इस पर समुचित ध्यान देते हुए दोषी आवंटियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करे।

बैठक के समापन सत्र में अध्यक्ष महोदय रीको ने सभी इकाई प्रभारियों का अभिवादन करते हुए निगम की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव आमंत्रित किये, जिसकी अनुपालना में इकाई प्रभारियों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये।

1. औद्योगिक क्षेत्रों में बढते हुए अतिक्रमणों के मद्देनजर निगम मुख्यालय में जेडीए की तर्ज पर एक अतिक्रमण विरोधी दस्ता पुलिस अधीक्षक के अधीन बनाया जावे।
2. सभी इकाई कार्यालयों को कम्प्युटरीकृत किया जावे।
3. 1996 के पश्चात् किसी प्रकार के कर्मचारी अधिकारी की भर्ती निगम द्वारा नहीं की गयी है अतः सहायक स्थल अभियंताओं की भर्ती शीघ्र की जावे।
4. 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' के दौरान जब्त किये गये सामान को रखने की व्यवस्था की जावे।
5. पटवारियों/निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति संभागीय इकाई कार्यालयों पर की जावे ताकि लैण्ड बैंक की स्थापना हेतु राजकीय भूमि चिन्हीत कर निगम को आवंटित हो सके।
6. उद्यमियों की स्ट्रीट लाईट संबंधी एवं अन्य छोटी समस्याओं के निदान हेतु टोल फ्री नम्बर पर ऑपरेटर की नियुक्ति की जावे जो शिकायत को संबंधित अधिकारी तक संप्रेषण एवं निदान होने पर उद्यमी को सूचित करने का कार्य करे।
7. रीको द्वारा संधारित सीईटीपी में अन्य प्राइवेट उद्यमी/औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ने हेतु आवश्यक शुल्क निर्धारण के लिए निगम की पॉलिसी बनायी जावे।
8. निगम में नगर नियोजक की प्रतिनियुक्ति की जावे।
9. नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में समुचित मात्रा में भूखण्ड आवंटन न होने तक सुरक्षा एवं रख–रखाव हेतु गार्ड की नियुक्ति की जावे।
10. महाप्रबंधक स्तर के पर्यावरण विशेषज्ञ के अधीन इआईए सेल की स्थापना की जावे।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त सुझावों को उचित बताते हुए उन पर उचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रदान किये। उन्होंने निजी क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए निगम द्वारा लैण्ड बैंक के रूप में अधिक से अधिक भूमि विशेषतयाः राजकीय भूमि आवंटित कराये जाने की आवश्यकता बतायी। नवीन औद्योगिक क्षेत्र के पर्यावरण अनुमोदन में

शीघ्र कार्यवाही किया जाना आवश्यक बताया है। वार्तालाप के माध्यम से उद्यमी एवं औद्योगिक संगठनों की समस्याओं का निदान किया जावे। अधिकारियों का सकारात्मक रूख समस्या समाधान के लिए होना चाहिए। कम्प्युटरीकरण को बढावा दिया जावे एवं ऑन–लाईन का उपयोग इन्फॉरमेशन, इन्ट्रेक्शन एवं ट्रांसजेक्शन के रूप में किया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को पीने के पानी की व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कराने हेतु कार्यवाही की जावे। जिन औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा उन क्षेत्रों की जल योजना तथा आवासीय योजना भिवाड़ी, मण्डोर एवं बोरानाडा की जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जावे। भू–जल के बढावे के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग, ग्राउण्ड वॉटर रिचार्ज एवं वेस्ट वॉटर रिसाईकलिंग को बढावा दिया जाये। नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना में पानी की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जावे।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :

1. वित्तीय सलाहकार/सलाहकार (एएण्डएम)/अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल)/मुख्य महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (सेज)/महाप्रबंधक (बीपी)/महाप्रबंधक (वित)/ महाप्रबंधक (अपरेजल)/महाप्रबंधक (इन्फ्रा/वित्त)/ अतिरिक्त महाप्रबंधक (तकनीकी) /वरि0. उप महाप्रबंधक (तकनीकी) प्रथम व द्वितीय/उप महाप्रबंधक (पीआर)
2. विशेषाधिकारी (भूमि)/भूमि अवाप्ति अधिकारी/उप महाप्रबंधक (विधि)/वरि0. क्षेत्रीय प्रबंधक (पीएण्डडी) (एसकेएस)/वरि0. क्षेत्रीय प्रबंधक (पीएण्डडी) (एसकेजी)/प्रबंधक (प्लानिंग)/क्षेत्रीय प्रबंधक (पीएण्डडी) (जीकेएस)/क्षेत्रीय प्रबंधक (पीएण्डडी) (वीकेजे)/क्षेत्रीय प्रबंधक (एमएण्डसी)
3. समस्त इकाई प्रभारी, रीको लि0. .....
4. क्षेत्रीय प्रबंधक/सहायक स्थल अभियंता, रीको लि0. डूँगरपुर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, दौसा, चुरू, बूंदी, बांरा, जालौर, करौली, टोंक, हनुमानगढ, बाड़मेर, सिरोही।

सलाहकार (इन्फ्रा)